

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि०-॥॥)

.....

संख्या: पर.(ए.पी.) सी-ए(३)-१/२००७-III

तारीख शिमला-०२,

२३-०५-२०२०

अधिसूचना


हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(३)-१/२००७-II, तारीख १६ सितम्बर, २०१७ द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, २०१७ का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। १. (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, २०२० है।
- (२) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उपाबन्ध-"क" का संशोधन। २. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, २०१७ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के उपाबन्ध-"क" में;
- (क) स्तम्भ संख्या: ४ के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान:

पे बैंड ५९१०-२०२००/-रुपए जमा १९५०/- रुपए ग्रेड पे।

- (ii) कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के संवर्ग में पदों की कुल संख्या के ५० प्रतिशत को संवर्ग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के रूप में कम से कम ५ वर्ष



के नियमित सेवाकाल के उपरान्त पे बैंड 10300-34800/-रूपए जमा 3600/- रूपए ग्रेड पे दिया जाएगा तथा इन पदों के पदधारी (पदधारियों) को स्थानन द्वारा कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

- (iii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाँ:-
स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7860/- रूपए प्रतिमास।”

(ख)

स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(क) अनिवार्य अर्हता (ए):

- (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

या

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं सहित समय-समय पर महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण (भारत सरकार) द्वारा यथा अधिसूचित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.) में एक/दो वर्ष का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) द्वारा यथा अनुमोदित किसी बहुतकनीकी संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

- (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी इसके बजाय, उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केंद्र (सी.आर.सी.), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.वी.एच.), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी०टी०सी०), लुधियाना के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण

J. B. Shinde

सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा, जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को, जो पहले से ही सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण-परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण:— पद "दिव्यांगजन" के अन्तर्गत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कंप्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होंगे।


(ख) वांछनीय अर्हता(ए):

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।";

(ग)

स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस)/इनफोर्मेशन प्रैक्टिसेज (आई.पी.) से सम्बंधित सत्तर प्रतिशत पाठ्यक्रम वाली लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन और व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण



के अनुसार किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।"; और

(घ) स्तम्भ संख्या 15-क (iv) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
चयन प्रक्रिया:

"(iv) संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस)/इनफोमेशन प्रैक्टिसेज (आई.पी.) से सम्बंधित सत्तर प्रतिशत पाठ्यक्रम वाली लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन और व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण के अनुसार किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।"

(ड) स्तम्भ संख्या 15-क की क्रम संख्या (VII) में,-

(i) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात: -

"(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख जिसको पर्यवसान समापन आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा;

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर

Albhar

नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।" और

(ii) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: -

"(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।"।

Jenshankar

(च) उक्त नियमों के उपाबन्ध-क के परिशिष्ट-II में,-

(i) कम संख्या 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: -

"3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा";

"4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेंडर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।" और

(ii) कम संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: -

"7 चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों



की दशा में, जिन्हें परिसंकटग्रय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।"।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार


पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

तारीख

शिमला-2,

२३-05.2020

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. अतिरिक्त विधि सलाहकार-एवं-अतिरिक्त सचिव (विधि-परामर्श), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
3. सभी मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
4. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
5. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
6. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर।
7. अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-02 को उनके पत्र संख्या 6-1/92- पी०एस०सी०-पार्ट, दिनांक 09.12.2019 के सन्दर्भ में।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-05
9. गार्ड फाइल।


(ओम प्रकाश भंडारी)
उप सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III Dated 28.5-²⁰²⁰ as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

**Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)**

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III Dated: Shimla-02, ^{4th} 28th May, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3)-1/2007-II dated 16th September, 2017, namely:-

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A

2.

In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "said rules") :-

(a) For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:-

"(i) Pay scale for regular incumbent (s):

Pay band of Rs.5910-20200+Rs.1950/- Grade Pay

J.B. Sharma

---2/---

(ii) Pay Band Rs.10300-34800+Rs.3600/- Grade Pay to be given to the 50% of the total number of posts of Junior Office Assistant (IT) in the cadre after minimum 5 years of regular service as Junior Office Assistant (IT) in the cadre and the incumbent(s) of this post shall be designated as Junior Assistant by placement.

(iii) Emoluments for Contract Employee(s):

Rs.7860/- per month as per details given in Col.No.15-A.";

(b) For the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

"(a) ESSENTIAL QUALIFICATION (S):


(i) Should have passed 10+2 Examination from a recognized Board of School Education/ University.

OR

Matriculation from recognized Board of School Education with one/two year's Diploma/Certificate from an Industrial Training Institute (ITI) in Information Technology (IT) & Information Technology Enabled Sectors (ITES) as notified by Director General of Employment & Training (Govt. of India) from time to time or three years Diploma in Computer Engineering/ Computer Science/IT from a Polytechnic as approved by All India Council for Technical Education (AICTE):

(ii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.

Provided that visually impaired persons selected/ recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/Computer Application/Information Technology and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional



Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training for which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his/her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board, may be exempted from passing the typing test.

Explanation:- The term, "differently abled persons" does not cover visually impaired persons or persons who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/ deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."

- (c) For the existing provisions against Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:-

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information Technology (IT)/Information Technology Enabled Sectors

J. K. Sharma

(ITES)/Information Practices (IP) followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules and practical test or skill test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be”.

- (d) For the existing provisions against Col. No. 15-A at serial number (IV), the following shall be substituted, namely:-

"(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information Technology (IT)/Information Technology Enabled Sectors (ITES)/Information Practices (IP) followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules and practical test or skill test the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/Other recruiting agency/ authority, as the case may be”.

- (e) in Col.No.15-A, at Serial Number (VII)-

(i) For the clauses (b) and (c), the following shall be substituted namely:-

(b) "The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a

J. B. Bhatia

copy of termination orders is delivered to him/her:

- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."; and

- (ii) For the clause (f), the following shall be substituted, namely:-

“(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the

JenBhonde

confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."; and

(f)

In Appendix-II of Annexure-A of the said rules-

(i) For the condition numbers 3 and 4, the following shall be substituted namely:-

"(3) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her."

"(4) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbusement and

J. K. Kharke

LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.


Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."

(ii) For the condition number 7, the following shall be substituted:-

"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."

By Order

R.D.Dhiman
Addl. Chief Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh




Endst. No.Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III

Dated:

Shimla-2, the 9th May, 2020.

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-02.
2. Addl. LR-cum-Addl. Secretary Law (O) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.

3. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
4. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
5. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
6. The Secretary, H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.
7. The Under Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 with reference to his letter No. 6-1/92-PSC-Part, dated 09.12.2019.
8. Controller, Printing & Stationary Department, H.P. Shimla-05.
9. Guard file.


(O.P. Bhandari)

Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.
